राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 965 / 2011 / चुरू

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, रतनगढ़, चुरू। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री जीण माता स्टोन क्रेसिंग उद्योग,
लोढ़सर, चुरू। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता ....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.के.पारीक,
अधिवक्ता ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03 / 01 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 367 / आरवेट / चुरू / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड तृतीय, मुख्यालय रतनगढ चुरू (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित वर्ष 2006–07 हेतु आदेश दिनांक 31.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25(1), 18(1), 2(7), 55 एवं 64 के तहत पूंजीगत माल पर क्लेम किये गये आई.टी.सी. रूपये 65,495 / – को अस्वीकार करने, धारा 58(1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रूपये 1440 / – एवं धारा 55 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज रूपये 19,649 / – को अपास्त किया है। जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियां वित्तीय वर्ष 2006–07 के तृतीय त्रैमास की विवरणी 1 दिवस देरी से, व चतुर्थ त्रैमास की विवरणी 143 दिन देरी से पेश की है, जिसको अधिनियम की धारा 58(i) का उल्लंघन माना है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये व्यापार एवं लाभ हानि खाता पेश नहीं किया है, जिसको अधिनियम की धारा 64 का उल्लंघन माना है। चूंकि प्रत्यर्थी पत्थर से गिट्टी बनाता है अतः कोई नई वाणिज्यिक वस्तु का निर्माण नहीं करता है जैसा की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमीशनर ऑफ सैल्स टैक्स यू.पी. बनाम लाल कुआं स्टोन क्रेसर (प्रा.)लि0 एवं अमन मार्बल इण्ड0 प्रा0लि0 बनाम कलक्टर सेन्ट्रल एक्साइज के प्रकरणों में निर्णीत किया है कि कोई वस्तु किसी प्रसंस्करण के पश्चात सुभिन्न वाणिज्यिक वस्तु निर्मित नहीं होती है तो उसको विनिर्माण प्रक्रिया नहीं माना जाता है। अतः प्रत्यर्थी को धारा 18(1) सपठित धारा 2(7) के अन्तर्गत पूंजीगत माल की खरीद पर आगत कर मुजरा स्वीकार्य नहीं है। इसके बावजूद प्रत्यर्थी ने वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान

लगातार..............2

पूंजीगत माल की खरीद पर आगत कर मुजरा रूपये रूपये 65,495 /– का गलत क्लेम किया है जिसको अधिनियम की धारा 18(1) का स्पष्ट उल्लंघन मानते, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से दिनांक 23.03.2009 को लिखित जवाब पेश किया गया। लिखित जवाब में यह तर्क दिया गया कि लेखाकार का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह समय पर त्रैमासिक विवरणियां तैयार नहीं कर सका तथा उन्होंने धारा 58(i) के तहत शास्ति आरोपण की कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया गया। अपने तर्क में बताया कि कानूनी जानकारी के अभाव में व्यापार व लाभ हानि खाता तथा विनिर्माण खाता समय पर पेश नहीं किया जा सका। प्रत्यर्थी ने अपने जवाब में बताया कि पत्थर को तोडकर जीरो व आधा इंची गिट्टी बनाने का उल्लेख करते हुए इस प्रक्रिया में नई वाणिज्यिक वस्तु गिट्टी बनाना व जिसका भिन्न उपयोग होने के कारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(27) के अनुसार विनिर्माण की परिभाषा में आने का तर्क दिया गया। उक्त समस्त बिन्दुओं पर प्रस्तुत प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त मांग राशियां कायम की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए मांग राशियों को अपास्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर राजस्व ने हस्तगत अपील बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय कमीश्नर ऑफ सैल्स टैक्स यू.पी. बनाम लाल कुआं स्टोन क्रेसर (प्रा.)लि0 एवं अमन मार्बल इण्ड0 प्रा0लि0 बनाम कलक्टर सेन्ट्रल एक्साइज के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में वह निर्माणकर्ता नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधानों के आलोक में उसे आगत कर अनुमत नहीं है अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज एवं शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। संशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा पूंजीगत सामान की खरीद पर किये गये आई.टी.सी. क्लेम रूपये 65,495 /– को यह मानते हुए रिवर्स कर दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय कमीश्नर ऑफ सैल्स टैक्स यू.पी. बनाम लाल कुआं स्टोन क्रेसर (प्रा.)लि0 एवं अमन मार्बल इण्ड0 प्रा0लि0 बनाम कलक्टर सेन्ट्रल एक्साइज के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में वह निर्माणकर्ता नहीं है, क्योंकि राजस्थान एवं विशेष रूप से प्रत्यर्थी के प्रकरण पर यह निर्णय लागू नहीं होता है। प्रत्यर्थी स्टोन, ग्रीट एवं बिल्डिंग मेटेरियल का निर्माता है एवं वह कच्चे माल एवं पूंजीगत माल की खरीद पर आई.टी.सी. क्लेम करने के लिए सक्षम है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि सशक्त अधिकारी ने माननीय

लगातार..............3

उच्चतम न्यायालय के निर्णय लाल कुआं स्टोन सप्लायर्स 2000(3) एसटीसी 525 की गलत ढंग से व्याख्या करते हुए प्रत्यर्थी की यूनिट को विनिर्माता नहीं माना है तथा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को रिवर्स किया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने कमीश्नर ऑफ सैल्स टैक्स यू.पी. बनाम लाल कुआं स्टोन क्रेसर (प्रा.)लि0 की व्याख्या के पश्चात मै. प्रकाश उद्योग 126 एसटीसी, 372 एवं वा.क.अ. राजसमन्द बनाम सुराणा मिनरल्स प्रा.लि. 13 एसटीओ, 210 के प्रकरण में अपना निर्णय देते हुए उसके द्वारा किये जा रहे कार्य को निर्माण की श्रेणी में माना है। प्रत्यर्थी द्वारा स्टोन ग्रीट एवं बिल्डिंग स्टोन का निर्माण कार्य किया जाता है। अतः वह उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्माणकर्ता की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार के एक अन्य निर्णय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, वृत–बी, जयपुर बनाम मै. खटाणा स्टोन प्रा.लि. (2008) टैक्स अपडेट, वोल्यू 22 पेज 135 में माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर ने स्टोन से गिट्टी बनाने को नई वस्तु का निर्माण माना है। सशक्त अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के इन निर्णयों का सही ढंग से अध्ययन नहीं करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को रिवर्स किया है तथा इसे अदेय मानते हुए धारा 55 के अन्तर्गत रूपये 19,649/– का ब्याज भी अधिरोपित किया है, जो विधि विरूद्ध है।

विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी को सुनवाई का विशिष्ट नोटिस दिनांक 09.03.2009 को जारी कर क्रमशः दिनांक 06.03.2009 एवं 19.03.2009 को तामिल करवाये गये एवं जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा विस्तृत जवाब भी दिया गया था किन्तु सशक्त अधिकारी ने बिना किसी ठोस कारणों के प्रस्तुत जवाब को खारिज कर दिनांक 31.03.2009 को आदेश पारित कर दिया जो अविधिक एवं अनुचित था। प्रत्यर्थी ने धारा 25(1) के अंतर्गत जारी आदेशों को विधि विरूद्ध बताया क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की कर अपवंचना नहीं की गई थी। सशक्त अधिकारी को उक्त विवादित आदेश धारा 24 के अंतर्गत पारित किये जाने चाहिये थे, जो कि नहीं किये गये। अतः धारा 25(1) के अंतर्गत पारित आदेश की कोई विधिक मान्यता नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत समस्त न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त अपील में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि पत्थर को तोड़कर गिट्टी बनाना निर्माण की परिभाषा में आता है या नहीं ? कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय कमीश्नर ऑफ सेल्स टैक्स यूपी बनाम लाल कुआं स्टोन क्रेशर प्रा.लि. में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त प्रक्रिया को निर्माण नहीं माना है फलस्वरूप

लगातार..............4

प्रत्यर्थी द्वारा क्रीत पूंजीगत माल पर धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार इस पर आगत कर अनुमत नहीं है एवं तदनुरूप दावा किये गये आगत कर मुजरे को अस्वीकार कर टैक्स रिवर्स किया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों का अवलोकन समीचीन होगा।

[2012] 13 Sales Tax Today 210 HIGH COURT OF RAJASTHAN JODHPUR CTO Rajsamand Vs M/s Surana Minerals Pvt. Ltd Date 14.02.2002 "It may be recalled that this distinction has also been noticed by the Supreme Court in Commissioner of Sales Tax U.P. Vs Lal Kunawa Stone Crusher (P.) Ltd. [200] 118 STC - 287. The Court was considering the question of manufacturing process where taxable item stated in the schedule of rates was stone. The Court considering the decision given by the Karnataka Sales Tax Tribunal in Reliable Rocks Builders and Suppliers Vs. State of Karnataka [1982] 49 STC 110 wherein the activity of converting stone into marketable commodity was held to be manufacture was not over-ruled, but was distinguished on the basis of entry in the concerned schedule of rates. The Court explained referring to Karnataka decision that it turned on the concept of consumption of goods for the purpose of bringing into existence new goods and said -

"In that case the Court was not concerned with an entry of the nature with which we are concerned in the present case.

In the case before the Supreme Court where goods mentioned in the schedule of rates was stone. In the context of said entry the Court said that stone, as such, and other articles of stones are all similar nature though by size they may be different. The entry with which the Supreme Court was concerned was Stone and any article made of stone Obviously. if stone as stone has attracted the tax in the first point, subsequent sale of article made of that stone would fall in the same category of the schedule."

उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पत्थर से गिट्टी बनाना निर्माण कार्य है। लाल कुआं के मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सम्बन्धित उत्तरप्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि की व्याख्या का मामला विचाराधीन था, जिसके तथ्य राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत विहित प्रावधानों से भिन्न है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत मैसर्स खटाणा स्टोन प्रा.लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 135 व राजस्थान टैक्स बोर्ड द्वारा पारित इस सन्दर्भ में निर्णय भी दृष्टव्य हैं जिनमें पत्थर से गिट्टी बनाने को विनिर्माण माना गया है। अतः प्रत्यर्थी को पूंजीगत माल की खरीद पर आगत कर का मुजरा देय होगा तथा दावा किये गये आगत कर के मुजरे पर विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते है। अन्य बिन्दुओं पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अन्यथा तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाये अतः इस बिन्दु पर भी अपील अस्वीकार की जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित गया।

3.1.2012
(मदन लाल)
सदस्य